

13/12/19

द्वारा काया म व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईलुवा होकर दिनांक 13/01/2020 को पेश हो।

21/12/20

पत्रावली पेश हुई प्रकार के संश्लेष में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमि चारी तहसील - 42 बावड़ी द्वारा कृषि आयोग के विरुद्ध शाहवागाम सेवांगण के ख.नं. 139/88 रकबा 3.00 बीघा व ख.नं. 116/2 रकबा 3.19 बीघा कुल रकबा 6.19 बीघा का मालक श्रीमि चारी आयोग के फॉर फ्रंट रकबा सामग्री सातका श्रीमि चारी के अकृषि उपयोग में लेने के कारण शाहवागाम सेवांगण आदि

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

दिनांक
हुम

1955 की अध्या 17) के तहत प्राप्ति प्राप्त
 प्रस्ताव का कार्यवाही करने प्रारंभ किया गया।
 प्रस्ताव करने हेतु निर्देश किया गया। प्रस्ताव
 रफि 21/1/52 का अद्योक्तियों को अद्योक्तियों
 मिले-या जाते पर तद्विचार किया गया तथा अद्योक्तियों
 -अद्योक्तियों को अद्योक्तियों में नोरी सततक किया
 गया। अद्योक्तियों दिनांक 22/1/58 को अद्योक्तियों
 किया गया जिसके विरुद्ध अद्योक्तियों दिनांक
 माननीय मामलत राजस्व अपील परिषद का
 निर्णय (अपील नं. 225/RTA/2018) दिनांक
 200 प्रस्ताव की गई जिसमें माननीय मामलत
 दिनांक 31/1/58 को निर्णय किया
 गया। अद्योक्तियों दिनांक 22/1/58 रवारीक किया
 गया। माननीय मामलत से निर्णय की गई
 -निर्णय की गई व मूल प्रस्ताव को प्राप्ति होने पर
 प्रस्ताव को पुनः तारीख पेशी वाली गई।
 हमने प्रस्ताव को अद्योक्तियों किया
 एवं मंगन किया। अपील नं. -मामलत द्वारा
 निर्णय पारित किया गया जो सततक प्रस्ताव को
 ही निर्णय में इस मामलत को विधी प्रस्ताव
 से मुण-अद्योक्तियों पर निर्णय पारित करने
 हेतु दिशा निर्देश उदान नहीं किया जाने
 है।

अतः प्रकरण में की जा रही कार्यवाही
 को इसी तरह पर तद्विचार किया जा रहा है।
 प्रस्ताव को अद्योक्तियों प्रस्ताव प्रस्ताव
 से काम होकर, तारीख पेशी वाली है।

सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, बावडी